रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 1986/ज्येष्ठ 9, 1908
No. 216] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 1986/JYAISTHA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 1986

का.आ. 311(अ).—राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 64) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उप-धारा के उद्देश्य के लिए 1 जून, 1986 की तारीख निश्चित करती है।

[संख्या 11013/27/85—बीई(ii)/एनएए]

विवेकानन्द पट्टनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Civil Aviation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 1986

S.O. 311(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the National Airports Authority Act, 1985 (64 of 1985), the Central Government hereby appoints the first day of June, 1986 as the date for purposes of that sub-section.

[No. A. 11013|27|85-VE(ii)|NAA]

VIVEK PATTANAYAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986